रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122025-268941
CG-DL-E-30122025-268941

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 845] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947
No. 845] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2025

सं. 02/2025- सीमा शुल्क (एसजी)

सा.का.नि. 931(अ).—जबकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 अथवा 7226 के अंतर्गत आने वाले "गैर-मिश्रित धातु और मिश्रित धातु इस्पात फ्लैट उत्पादों" अर्थात् (ए) हॉट रोल्ड कॉइल, शीट और प्लेटें, (बी) हॉट रोल्ड प्लेट मिल प्लेट्स, (सी) कोल्ड रोल्ड कॉइल और शीट, (डी) धातु लेपित स्टील कॉइल और शीट, चाहे प्रोफाइल किए गए हों या नहीं, गैल्वेनियल सहित, जिंक या एल्यूमीनियम-जस्ता या जिंक-एल्यूमीनियम-मैग्नीशियम के साथ लेपित, और (ई) रंग लेपित कॉइल और शीट, चाहे प्रोफाइल किए गए हों या नहीं (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया गया है), के आयात के मामले में महानिदेशक (व्यापार उपचार) प्रारंभिक निष्कर्षों में, जिसे अधिसूचना संख्या 22/01/2024- डीजीटीआर दिनांक 18 मार्च, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में अनंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुचें थे कि भारत में विषयगत वस्तुओं के आयात में हाल ही में, अचानक, तीव्र और भारी मात्रा में वृद्धि हुई है, जिससे विषयगत वस्तुओं के उत्पादकों को गंभीर क्षति हुयी है और होने कि आशंका है, अनंतिम सुरक्षा शुल्क को विषयगत वस्तुओं के भारत में आयत पर लागू करने कि आवश्यकता है;

और जबकि महानिदेशक (व्यापार उपचार) के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, केंद्र सरकार ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2025-सीमा शुल्क (एसजी), दिनांक 21 अप्रैल, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 243 (अ), दिनांक 21 अप्रैल, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था, के तहत 21 अप्रैल, 2025 से दो सौ दिनों की अवधि के लिए भारत में विषयगत वस्तुओं के आयात पर अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाया है;

और जबकि महानिदेशक (व्यापार उपचार) ने अधिसूचना संख्या 22/01/2024-डीजीटीआर दिनांक 16 अगस्त, 2025 के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1, दिनांक 16 अगस्त, 2025 में प्रकाशित किया गया था, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत में विषयगत वस्तुओं के आयात में हाल ही में अचानक, तीव्र और भारी मात्रा में वृद्धि हुई है, जिससे विषयगत वस्तुओं के घरेलू उद्योग/उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है और होने का खतरा है, और उन्होंने अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विषयगत वस्तुओं के आयात पर सुरक्षा शुल्क लगाने की सिफारिश की है;

अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (सुरक्षा शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के नियम 12, 14 और 17 के साथ पठित, केंद्र सरकार, महानिदेशक (व्यापार उपचार) के उक्त निष्कर्षों पर विचार करने के बाद, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 और 7226 के अंतर्गत आने वाले विषयगत वस्तुओं पर भारत में आयात किए जाने पर निम्नलिखित दर पर सुरक्षा शुल्क लगाती है, अर्थात्:-

(क) 21 अप्रैल, 2025 से 20 अप्रैल, 2026 की अवधि के दौरान आयात किए जाने पर 12 प्रतिशत यथामूल्य;

(ख) 21 अप्रैल, 2026 से 20 अप्रैल, 2027 की अवधि के दौरान आयात किए जाने पर 11.5 प्रतिशत यथामूल्य;

(ग) 21 अप्रैल, 2027 से 20 अप्रैल, 2028 की अवधि के दौरान आयात किए जाने पर 11 प्रतिशत यथामूल्य;

बशर्ते कि उक्त सुरक्षा शुल्क, अनंतिम सुरक्षा शुल्क की समाप्ति की तारीख से प्रारंभ होकर सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्ववर्ती दिन तक की अवधि के लिए नहीं लगाया जाएगा।

2. नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पाद श्रेणियों पर, जब उनका आयात उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गयी तत्सम्बन्धी प्रविष्टि के अनुसार सीआईएफ आधारित आयात मूल्य पर या उससे अधिक मूल्य पर, कॉलम (5) में सम्बंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट मुद्रा में और उक्त तालिका के कॉलम (4) में सम्बंधित प्रविष्टि की माप की इकाई के अनुसार किया गया हो, पर कोई सुरक्षा शुल्क नहीं लगाया जायेगा यथा:

सारणी

क्र.सं.	उत्पाद श्रेणी	सीआईएफ आधार पर आयात मूल्य	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	हॉट रोल्ड कॉइल, शीट और प्लेटें,	675	मी टन	यूएसडी
2.	हॉट रोल्ड प्लेट मिल प्लेट	695	मी टन	यूएसडी
3.	कोल्ड रोल्ड कॉइल और शीट	824	मी टन	यूएसडी
4.	धातु लेपित स्टील कॉइल और शीट, चाहे प्रोफाइल किए गए हों या नहीं, गैल्वेनियल सहित, जिंक या एल्यूमीनियम-जस्ता या जिंक-एल्यूमीनियम-मैग्नीशियम के साथ लेपित	861	मी टन	यूएसडी
5.	रंग लेपित कॉइल और शीट, चाहे प्रोफाइल किए गए हों या नहीं	964	मी टन	यूएसडी

3. इस अधिसूचना में निहित कुछ भी निम्नलिखित के आयात पर लागू नहीं होगा:-

(i) चीन जनवादी गणराज्य और वियतनाम के अलावा, अधिसूचना संख्या 19/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.) में सूचीबद्ध विकासशील देशों से आयातित हॉट रोल्ड कॉइल, शीट और प्लेट;

(ii) चीन जनवादी गणराज्य के अलावा, अधिसूचना संख्या 19/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.) में सूचीबद्ध विकासशील देशों से आयातित हॉट रोल्ड प्लेट मिल प्लेट;

(iii) चीन जनवादी गणराज्य और नेपाल के अलावा, अधिसूचना संख्या 19/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.) में सूचीबद्ध विकासशील देशों से आयातित कोल्ड रोल्ड कॉइल और शीट;

(iv) वियतनाम, चीन जनवादी गणराज्य और नेपाल के अलावा, अधिसूचना संख्या 19/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.) में सूचीबद्ध विकासशील देशों से आयातित धातु लेपित स्टील कॉइल और शीट, चाहे प्रोफाइल किए गए हों या नहीं, गैल्वेनियल सहित, जिंक या एल्यूमीनियम-जस्ता या जिंक-एल्यूमीनियम-मैग्नीशियम के साथ लेपित; और

(v) चीन पीआर और नेपाल के अलावा , अधिसूचना संख्या 19/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.) में सूचीबद्ध विकासशील देशों से आयातित रंग लेपित कॉइल और शीट, चाहे प्रोफाइल किए गए हों या नहीं ।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,

(i) विचाराधीन उत्पाद के दायरे में निम्नलिखित उत्पाद शामिल नहीं हैं:

क). कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरजीओ);

ख). कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरएनओ) कॉइल एंड शीट्स;

ग). कोटिड - इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड स्टील;

घ). टिनप्लेट्स;

ङ). स्टेनलेस स्टील;

च). निकेल कोटिड/निकेल प्लेटिड कोल्ड रोल्ड स्टील;

छ). रबर कोटिड स्टील;

ज). इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड (ईजी) - जिंक निकेल कोटिड स्टील;

झ). बाई-मेटल स्टील / बाई-मेटल सैंडविच स्टील;

ञ). ब्रास कोटिड स्टील वायर;

ट). क्रूटोनाइट;

ठ). इनकोनेल;

ड). स्टेनलेस स्टील मदें;

ढ). अल्युमिनियम कोटीड स्टील;

ण). अल्युमिनियम सिलिकॉन कोटेड/हॉट डिप्ड अल्युमिनाइज्ड सिलिकॉन कोटिड स्टील;

त). हॉट रोल्ड क्लैड स्टील प्लेट;

थ). निकल प्लेटेड स्टील / निकल प्लेटेड स्ट्रिप;

द). कॉपर प्लेटेड स्टील;

ध). लैमिनेटिड इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड (ईजीआई);

न). कोबाल्ट प्लेटिड स्टील;

ऩ). सिल्वर प्लेटिड स्टील; और

प). टाइटेनियम क्लैड प्लेट्स;

(ii) सुरक्षा शुल्क की गणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनिमय दर वह दर होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में निर्दिष्ट है, और विनिमय दर के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तारीख उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के तहत आगम पत्र की प्रस्तुति की तारीख होगी; और

(iii) "सीआईएफ आधार पर आयात मूल्य" का अभिप्राय वह आंकलन योग्य मूल्य है जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अंतर्गत किया गया हो।

[फा. सं. 190354/42/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2025

No. 02/2025-Customs (SG)

G.S.R. 931(E).— Whereas, in the matter of import of "Non-Alloy and Alloy Steel Flat Products", namely (a) Hot Rolled Coils, Sheets and Plates, (b) Hot Rolled Plate Mill Plates, (c) Cold Rolled Coils and Sheets, (d) Metallic Coated Steel Coils and Sheets, whether or not profiled, including Galvanneal, Coated with Zinc or Aluminium-Zinc or Zinc-Aluminium-Magnesium, and (e) Colour Coated Coils and Sheets, whether or not profiled (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff headings 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 or 7226 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), the Director General (Trade Remedies) in its preliminary findings *vide* notification No. 22/01/2024-DGTR, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 18th March 2025, has provisionally concluded that recent, sudden, sharp, and significant increase in imports of subject goods into India has caused and threatens to cause serious injury to the domestic industry/producers of subject goods, thereby necessitating the imposition of provisional safeguard duty on imports of the subject goods into India;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the Director General (Trade Remedies), the Central Government has imposed provisional safeguard duty on import of the subject goods into India for a period of two hundred days with effect from the 21st day of April, 2025 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2025-Customs (SG), dated the 21st April, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number GSR 243 (E), dated the 21st April, 2025;

And whereas, the Director General (Trade Remedies) in its final findings *vide* notification No. 22/01/2024-DGTR dated the 16th August, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1, dated the 16th August, 2025 has come to the conclusion that there is a recent, sudden, sharp and significant increase in imports of subject goods into India thereby causing and threatening to cause serious injury to the domestic industry / producers of subject goods, and has recommended imposition of safeguard duty on imports of the subject goods for a period of three years from the date of levy of the provisional safeguard duty;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8B of the Customs Tariff Act, read with rules 12, 14 and 17 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Measures) Rules, 1997, the Central Government after considering the said findings of the Director General (Trade Remedies), hereby imposes on the subject goods falling under tariff headings 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 and 7226 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, when imported into India, a safeguard duty at the following rate, namely :-

(a) 12 percent ad valorem, when imported during the period from 21st April, 2025 to 20th April, 2026;

(b) 11.5 percent ad valorem, when imported during the period from 21st April, 2026 to 20th April, 2027;

(c) 11 percent ad valorem, when imported during the period from 21st April, 2027 to 20th April, 2028:

Provided that the said safeguard duty shall not be levied for the period commencing from the date of the lapse of the provisional safeguard duty, up to the preceding day of the publication of this notification in the Official Gazette.

2. The safeguard duty shall not be imposed on the product categories as specified in the corresponding entry in column (2) of the Table below, when imported into India, at or above the import price on CIF basis as mentioned in

the corresponding entry in column (3), in the currency as specified in the corresponding entry in column (5) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely :-

Table

Sl. No.	Product Category	Import price on CIF basis	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Hot Rolled Coils, Sheets and Plates	675	MT	USD
2.	Hot Rolled Plate Mill Plates	695	MT	USD
3.	Cold Rolled Coils and Sheets	824	MT	USD
4.	Metallic Coated Steel Coils and Sheets, whether or not profiled, including Galvanneal, Coated with Zinc or Aluminium-Zinc or Zinc-Aluminium-Magnesium	861	MT	USD
5.	Colour Coated coils and sheets, whether or not profiled	964	MT	USD

3. Nothing contained in this notification shall apply to imports of ,-

(i) Hot Rolled Coils, Sheets and Plates imported from developing countries listed in Notification No. 19/2016-Customs (N.T.), other than China PR and Vietnam;

(ii) Hot Rolled Plate Mill Plates imported from developing countries listed in Notification No. 19/2016-Customs (N.T.), other than China PR;

(iii) Cold Rolled Coils and Sheets imported from developing countries listed in Notification No. 19/2016-Customs (N.T.), other than China PR and Nepal;

(iv) Metallic Coated Steel Coils and Sheets, whether or not profiled, including Galvanneal, Coated with Zinc or Aluminium-Zinc or Zinc-Aluminium-Magnesium imported from developing countries listed in Notification No. 19/2016-Customs (N.T.), other than Vietnam, China PR and Nepal; and

(v) Colour Coated coils and sheets, whether or not profiled imported from developing countries listed in Notification No. 19/2016-Customs (N.T.), other than China PR and Nepal.

Explanation: For the purposes of this notification,

(i) The following products are excluded from the scope of subject goods:

a) Cold Rolled Grain Oriented Electrical Steel (CRGO);

b) Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel (CRNO) coils and sheets;

c) Coated - Electro Galvanized Steel;

d) Tinplate;

e) Stainless steel;

f) Nickel Coated / Nickel Plated Cold Rolled Steel;

g) Rubber Coated Steel;

h) Electro Galvanised (EG) – Zinc Nickel Coated Steel;

i) Bi-Metal Steel / Bi-Metal Sandwich Steel;

j) Brass Coated Steel Wire;

k) CRUTONITE;

l) INCONEL;

m) Stainless Steel Items;

n) Aluminium Coated Steel;

o) Aluminium Silicon Coated / Hot Dipped Aluminised Silicon Coated Steel;

p) Hot Rolled Clad Steel Plate;

q) Nickel Plated Steel / Nickel Plated Strip;

r) Copper Plated Steel;

s) Laminated Electro Galvanized (EGI);

t) Cobalt Plated Steel;

u) Silver Plated Steel; and

v) Titanium Clad Plates;

(ii) the rate of exchange applicable for the purposes of calculation of the safeguard duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act; and

(iii) "Import price on CIF basis" means the assessable value as determined under section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. 190354/42/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.12.30 23:10:10 +05'30'